COURT FEE — 10 Rs. — भारत INDIA — दस रुपये — TEN RUPEES

C.F.-10/- Rs.
Delicate. - 5/-.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्र०क्र० - /99-2000 नि० R - 2307 - II / 2000

हटेसिंह आत्मज खेमराजजी आंजना नि० अजीमाबाद पारदी तहसील खाचरोद जिला उज्जैन -- आवेदक

विरुद्ध

बहादुरसिंह 2- पदमसिंह पुत्रगण खेमराजजी - निवासीगण अजीमाबाद पारदी तहसील खाचरोद -- अनावेदकगण

पुर्नरिक्षण आवेदन पत्र धारा 50 म०प्र०भू०रा०संहिता -

25.7.2000

माननीय महोदय,

आवेदक अधिनिस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 3-5-2000 प्र०क्र० 226/93-94 अपील से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर पुर्नरिक्षण आवेदन अन्दर अवधि प्रस्तुत करते है -

1- यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2- यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय रेकार्ड का अवलोकन किए बगैर - जेर निगरानी आदेश पारित करने मे महान वेधानिक त्रूटि की है ।

3- यह कि स्व० खेमराजजी द्वारा अपने जीवनकाल मे कभी भी वादग्रस्त भूमि रिस्पाडेन्ट को नही दी है, उनकी मृत्यु के पश्चात अनावेदक ने बिना किसी - वेधानिक अधिकार के बंदोबस्त अधिकारी से उसके क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर - आदेश करवा लिया जो निरस्त किए जाने योग्य है ।

4- यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने बिना किसी आधार के - यह मानने मे त्रूटि की है कि वादग्रस्त भूमि अनावेदक को उनके पिता द्वारा दी गई है, न तो रेकार्ड मे स्वत्व अंतरण का कोई प्रमाण है एवं न ही ऐसी कोई ... अधिनस्थ न्यायालय मे आयी है इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

5- यह कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश ही विरोधाभाषी है, एक - ओर तो अधिनस्थ न्यायालय स्वत्व के अधिकार सिविल न्यायालय से होना -

...र-2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2307–दो/2000 जिला उज्जैन

हटेसिंह विरूद्ध बहादुरसिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–12–2015	आवेदक अभिभाषक श्री एस0 कम्ठान अधिवक्ता द्वारा तर्क में बताया कि उनके पक्षकार हटेसिंह की मृत्यु हो चुकी है, परन्तु आवेदक अभिभाषक द्वारा आवेदक का मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा वारिसान आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा आवेदक की मृत्यु कब हुई यह बतलाने में भी असमर्थता जाहिर की। अनावेदक अभिभाषक श्री एस0के0 वाजपेयी द्वारा अपने पक्षकार से काफी समय से सम्पर्क नहीं होने से कोई भी स्थिति बतलाने में असमर्थता व्यक्त की। चूंकि दोनों ही अभिभाषक को उनके पक्षकारों की ओर से कोई इन्स्ट्रक्शन प्राप्त नहीं हैं। यह प्रकरण वर्ष 2000 से लगभग लंबित है। अतः प्रकरण आवेदक की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसानों के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण अवैट किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापस भेजे जायें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	